29.5.18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में पंचायत मुख्यालय नाडी की तारीख में पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। विपक्षी क्र. 6 से 9 के वकील उप.। शेष विपक्षी अनु.। वकील विपक्षी की ओर से जवाब पेश किया गया। तत्पश्चात उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील विपक्षी की ओर से न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। पत्रावली व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर [illegible] आज सुनाया गया और शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत/केम्प कोर्ट स्थल–पंचायत मुख्यालय ग्रा.प.चाड़ो की ढाणी)
पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स.224/2017

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
चनणीदेवी पत्नि हनुमानराम जाति जाट निवासी प्रभुनगर (सड़ा) तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर		1.भानाराम पुत्र वीराराम 2.जोधाराम पुत्र वीराराम 3.चौखाराम पुत्र वीराराम 4.ऊर्जाराम पुत्र वीराराम 5.जमना पत्नि वीराराम 6.अणसीदेवी पत्नि पूनमाराम 7.रावताराम पुत्र पूनमाराम 8.खेताराम पुत्र पुनमाराम 9.वनाराम पुत्र पुनमाराम 10.हनुमानराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी प्रभुनगर (सड़ा) तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री दलाराम चौधरी,अधिवक्ता प्रार्थीनी की ओर से उपस्थित।
2. श्री नारायण कुमावत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 6 से 9 की ओर से उपस्थित।
3. विप्रार्थी सख्या 1 से 5 एवं विप्रार्थी 10 एकरतफा।

आदेश

दिनांक–29.5.18

1.संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम प्रभुनगर पटवार क्षेत्र सड़ा तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 619/3 रकबा 31–15 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीनी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीनी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीनी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीनी द्वारा ग्राम प्रभुनगर पटवार क्षेत्र सड़ा तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 619/3 रकबा 31–15 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थीनी के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। एवं विप्रार्थीगण को जरिये राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थी संख्या 6 से 9 की ओर से अधिवक्ता श्री नारायण कुमावत द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। और प्रार्थीनी के आवेदन के विरूद्व जवाव पेश किया गया। और निवेदन भी किया गया कि प्रार्थीनी का आवेदन खारिज किया जावें। शेष विप्रार्थी संख्या 1 से 5 एवं 10 बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम प्रभुनगर पटवार क्षेत्र सड़ा तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 619/3 रकबा 31–15 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीनी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीनी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीनी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। आगे ओर कथन किया कि विप्रार्थी जानबुझकर प्रकरण को लम्बा करने के लिए वकालतनामा पेश करवाया जाकर बोकस जबाव पेश किया गया है। जिसमें कोई सारभूत तथ्य निहित नहीं होने के कारण प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार किया जावें। इस कारण प्रार्थीनी के खातेदारी भूमि ग्राम प्रभुनगर पटवार क्षेत्र सड़ा तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 619/3 रकबा 31–15 बीधा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमाये जावे।

4.इसके विपरीत वकील विप्रार्थी संख्या 5 से 9 की बहस है। कि विप्रार्थी संख्या 6 से 9 की ओर से हस्तगत आवेदन में दर्शित भूमि के संबध में एक नियमित वाद पेश किया गया। जो इसी न्यायालय में वाद संख्या 73/2017 अनवान खेताराम बनाम चनणी वगेरा दर्ज होकर विचाराधीन चल रहा है। नियमित वाद के विचाराधीन रहते हुए नेखमबंदी की कार्यवाही नहीं हो सकती है। पक्षकारों अधिकारों की धोषणा नियमित वाद में ही तय की जायेगी। नेखमबंदी की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है,जिसमें पक्षकारों अधिकारो की तय नहीं किये

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

सकते है। इस कारण नियमित वाद के विचाराधीन होने के कारण यह कार्यवाही समाप्त रते हुए आवेदन खारिज किया जावें। वकील विप्रार्थी की ओर से अपनी बहस के समर्थन न्यायिक द्वष्टांत 2012(2)आर.आर.टी.पेज 1371 एवं 2012(2)आर.आर.टी.पेज 1378 प्रस्तुत किये गये।

4.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात एवं ससम्मान न्यायिक द्वष्टांतों का न्यायिक मस्तिष्क से गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम प्रभुनगर पटवार क्षेत्र सड़ा तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 619/3 रकबा 31–15 बीघा भूमि की प्रार्थीनी रिकार्डेड खातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2073 से 2076 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहती है। विप्रार्थी संख्या 6 से 9 के अधिवक्ता का यह कथन सही है,कि विवादित भूमि के संबध में एक नियमित वाद धोषणात्मक अभी प्रारम्भिके स्टेज पर इसी न्यायालय में चल रहा है। लेकिन उक्त वाद का निर्णय साक्ष्य एवं सबूतों के आधार होगा। चूंकि प्रार्थीनी विवादित भूमि की वर्तमान में विवादित भूमि की रिकाडर्ड खातेदार है और अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवानी चाहती है,जिसकी वह हकदार है और नेखमबंदी किये जाने से वाद की विषय वस्तु पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योकि नेखमबंदी किये जाने से किसी के कोई हक हकूक तय नहीं होते है। नेखमबंदी केवलमात्र भूमि की होती है,न कि किसी को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है। और विवादित भूमि पर किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश जारी नहीं हो रखा है,क्योकि ऐसा कोई दस्तावेज विप्रार्थी वकील द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है। ऐसी सूरत में उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति प्रतीत नहीं होती है। एवं वकील विप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक द्वष्टांत 2012(2)आर.आर.टी.पेज 1371 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के सन्दर्भ में एवं 2012(2)आर.आर.टी.पेज 1378 में यह प्रतिपादित किया गया है,कि नियमित वाद के चलते नामान्तकरण अपील में कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। जबकि प्रार्थीनी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवानें हेतु आवेदन पेश किया गया है,जो न्यायिक द्वष्टांत उक्त प्रकरण की प्रवृति पर चस्पा नहीं होते है।

5. **लिहाजा**,प्रार्थीनी का आवेदन राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम प्रभुनगर पटवार क्षेत्र सड़ा तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 619/3 रकबा 31–15 बीघा भूमि के सबंध में सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थीनी द्वारा नियमानुसार वहन किया जावेगा। तत्पश्चात विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीनी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थीनी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(अंजुम ताहिर सम्मा)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 29/5/18 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Scanned by CamScanner